जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 26-09-2021**

आज दिनांक 26.09.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

ट्रक से चोरी की गई 02 अदद बैट्री 24 घण्टे के अंदर बरामद, अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 179 / 2021 धारा 379 / 411 भादवि में वांछित अभियुक्त नाम पता अनिल यादव पुत्र रामनवल निवासी अगियौना थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा श्री राधेश्याम पुत्र श्रीराम गुप्ता निवासी बेलौहा बाजार थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर के ट्रक नं0 यूपी 58टी 2773 जो कि झुड़िया पेट्रोल पंप के सामने खड़ी थी उसमें से 02 अदद बैट्री चोरी कर लिया गया जिसके संबंध में वादी उपरोक्त द्वारा दिनांक 25.09.2021 को थाना बेलहरकला में मु0अ0सं0 177 / 2021 धारा 379 भादवि पंजीकृत कराया गया था। बेलहरकला पुलिस द्वारा त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए अभियोग का अनावरण कर प्रकाश मे आये अभियुक्त अनिल यादव पुत्र रामनवल यादव निवासी अगियोना थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 26.09.2021 को समय 11.00 बजे सांथा ब्लाक उत्तरी गेट से गिरफ्तार कर अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी किये गये 02 अदद बैट्री को बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सदरुल आलमीन, का0 बहादुर सिंह, का0 विनय कुमार, का0 अर्चित गिरि।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की गई कार्यवाही के अन्तर्गत 45 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 40 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 04 अभियुक्त नाम पता 1- रघुवीर पुत्र लुट्टुर निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा 2- सोनू पुत्र मुल्ताज अहमद निवासी कम्हरिया थाना बखिरा 3-रेहान पुत्र असलम परवेज निवासी लेडुआ महुआ थाना बखिरा 4- हीरालाल साहनी पुत्र पचिराम उर्फ श्रीराम साहनी निवासी महरा टोला थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को क्रमशः 10 -10-10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर क्रमशः मु0अ0सं0 304 / 2021, मु0अ0सं0 305 / 2021, मु0अ0सं0 306 / 2021 व मु0अ0सं0 307 / 2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – उ0नि0 श्री हरिन्द्र पाठक, उ0नि0 श्री उदयशंकर द्विवेदी, हे0का0 रंजीत कुमार, हे0का0 प्रधीश नाथ त्रिपाठी, हे0का0 उमेन्द्र यादव, का0 मुन्नेलाल गुप्ता, का0 आदित्य सिंह, का0 मनीष यादव,का0 रामभूषण पटेल।

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 05 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता रामकेश पुत्र रामसूरत निवासी भैंसामाफी थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर मु0अ0सं0 277 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – उ0नि0 श्री जुबेर अली, का0 रत्नेश सिंह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1485 द्वारा मार्ग दुर्घटना मे घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1485 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत कस्बा खलीलाबाद से इवेन्ट संख्या 06796 से कालर ने मार्ग दुर्घटना मे एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 01 मिनट में पहुंचकर दुर्घटना मे घायल व्यक्ति को जरिए एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया व घटना के संबंध मे थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मार्ग दुर्घटना मे घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुचाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।
पीआरवी स्टाफ –मु0 आ0 विशेश्वर प्रसाद, आ0 अमरजीत सिंह, आ0चा0 सर्वेश कुमार मिश्रा।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 84 वाहनो से 68500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 26.09.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 84 वाहनो से 68500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।